फर्द अहकाम

(नियम 15)

2024/453

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

जयश्वी आदि बनाम पूर्णराम आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या /29 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
15.07.2024	प्रार्थी जयश्वी आदि की तरफ से वकील श्री विनोद कुमार स्वामी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। रीडर की जांच रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं सलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा 22 आर.डब्लयू.डी़ ए के प0नं0 236/417 मु0नं0 33 के किला नं0 25/3, 25/4 व प0नं0 237/417 मु0नं0 32 के किला 21/3, 21/4, 22/3, 22/4, 23/3, 23/4, 24/3, 24/4, 25/3, 25/4 की कुल 1.3630है0, चक 22 आर.डब्लयू.डी. बी. के प0नं0 236/418 मु0नं0 5 के किला नं0 2 ता 5 व प0नं0 237/418 मु0नं0 6 के किला नं0 1 ता 9 की कुल 3.2890है0 भूमि की अप्रार्थीगण रहन–बैय व मुन्तिकल करने से निषेद्ध रहे तथा रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 16.08.2024 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
16.08.2024	कुलाए फरीकन उपस्थित/PU साहब अनुपस्थित है। पत्रावली प्रस्तुत ... दिनांक 23.10.2024 को पेश हो [signature]	[illegible] [signature]
16.10.2024	वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं ने प्रार्थना-पत्र मिसल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी [illegible] व प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि [illegible] प्रार्थना-पत्र आगे नहीं चलाना चाहते [illegible] जुदा स्थिति में कायम करवाना चाहते है। अत: [illegible]ना-पत्र को जुदा स्थिति में कायम किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरमीम तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	Sushila [illegible] Akg

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.11.06 10:58:47 IST
Reason: SelfAttested